

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)


## स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश

राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत है ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर कॉलम संख्या 06 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। निम्न कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम-50(1) के प्रावधानानुसार 45 वर्ष की आयु एवं 15 वर्ष की सेवा दोनों ही शर्तें पूर्ण करते है, उक्त नियमों के अन्तर्गत कॉलम सं-06 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती हैं।

क्रम	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री / सुश्री / श्रीमती (राउमावि / राबाउमावि)	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	मधुबाला नुवाल, व्याख्याता-वाणिज्य सेमुमा राबाउमावि भीलवाड़ा	वाणिज्य	05-06-1966	16-01-1988	01-08-2018

2 यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज दिनांक तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

दिनांक- 27.04.18

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/31853/स्वै.सेवानिवृत्ति/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान,
2. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, भीलवाड़ा
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, अजमेर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) I/II भीलवाड़ा
5. प्रधानाचार्य, से.मु.मा. राज. बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याता के कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रूपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर नियमानुसार अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करें। (रजिस्टर्ड)
6. मधुबाला नुवाल, व्याख्याता-वाणिज्य, से.मु.मा. राज. बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीलवाड़ा
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग/एसीआर अनुभाग/एबी अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक के वरिष्ठता सूची पर सम्बन्धित इन्द्राज करावें।
8. प्रभारी ओएसी- संस्थापन सी अनुभाग
9. निजी / रक्षित पत्रावली

  
27.04.18  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: सेवा समाप्ति आदेश ::

श्री राजकुमार परमार, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बागथर बसेड़ी, जिला धौलपुर जिनकी जन्मतिथि 09.06.1961 है, का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 19.03.2018 को स्वर्गवास हो चुका है। अतः उक्त श्री राजकुमार परमार, प्रधानाचार्य की राजकीय सेवाएँ दिनांक 19.03.2018 से समाप्त की जाती है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5-6-8/राजकुमार परमार/2018/3

दिनांक : 30/4/18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, भरतपुर
2. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, धौलपुर
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, भरतपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), धौलपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री राजकुमार परमार का राजपत्रितकाल सेवाविवरण एवं अन्तिम संस्था का अदेय प्रमाण पत्र शीघ्र भिजवाने की श्रम करे ताकि प्रपत्र-6 जारी किया जा सकें।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बागथर बसेड़ी, जिला धौलपुर
6. आश्रित स्व० श्री राजकुमार परमार प्रधानाचार्य, द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) धौलपुर
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. अनुभाग अधिकारी विभागीय जांच/वरिष्ठता अनुभाग
9. प्रभारी बी-1/II/III कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## -:: प्रपत्र-6 ::-

निम्नलिखित प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	भोला शंकर, राउमावि.तालेडा बून्दी	चित्रकला	01.10.58	30.09.18
2	भग्गो सिंह सैनी, राउमावि.चित्तौकरी भरतपुर	भूगोल	12.07.58	31.07.18
3	रामगोपाल शर्मा, राउमावि.जालमपुर हुरडा भीलवाडा	भूगोल	01.06.58	31.05.18
4	जयराम, राउमावि.रावतसर बाडमेर	अर्थशास्त्र	22.07.58	31.07.18
5	उर्मिला माथुर, राउमावि.हरमाडा जयपुर	अर्थशास्त्र	01.07.58	30.06.18
6	मधुसुदन द्विवेदी, राउमावि.तूगां बरसी जयपुर	अर्थशास्त्र	26.07.58	31.07.18
7	ममता भार्गव, राबाउमावि.सांगानेर जयपुर	अर्थशास्त्र	02.11.58	30.11.18
8	कानाराम जाट, राउमावि.बोराज दूदू जयपुर	अर्थशास्त्र	02.01.59	31.01.19
9	मदनलाल भटी, राउमावि.लौटोती पाली	भूगोल	09.01.59	31.01.19
10	रजनी बाला, राबाउमावि. माहराजा,छोटी चौपड़ जयपुर	चित्रकला	17.09.58	30.09.18
11	नौशाबा परवीन, राबाउमावि.बर्नीपार्क जयपुर	उर्दू	01.12.58	30.11.18
12	रूपसिंह भाटी, ABEEO लोहावट जोधपुर	राजस्थानी	10.03.59	31.03.19
13	चैन सिंह, राउमावि लुहारवास सीकर	भूगोल	24.07.58	31.07.18

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

**नोट:-** वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक यदि कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।


  
(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 30-04-18

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/सेवानिवृत्ति/2017-2018  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 संबंधित उपनिदेशक (मा)
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा)
- 3 संबंधित प्रधानाचार्य
- 4 संबंधित कार्मिक
- 5 कम्प्यूटर अनुभाग
- 6 गार्ड फंजिका

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर